UTTAR PRADESH SHASHAN
PARIVAHAN ANUBHAG-4

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.945 /XXX-4-2015 dated August 11, 2015

Notification

No.9/945 /XXX-4-2015
Lucknow: Dated August 11, 2015

In exercise of the powers under sub section(1) of section 3 of Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997 (U.P. Act no. 21 of 1997) the Governor is pleased to exempt wholly from payment of tax under the Motor Vehicles Taxation Act, 1997 for 5 years to Marked Vehicles, maximum three in number, out of which two vehicles having seating capacity of five passengers including the driver and one vehicle having seating capacity of twelve passengers including the driver, owned by heritage hotel and exclusively used for conveyance of Indian/foreign tourist from nearest bus stand, railway station, airport and for their local travel.

By Order

Kumar Arvind Singh Deo
Principal Secretary.

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-4
संख्या-9/945/तीस-4-2015
लखनऊ: दिनांक: 11 अगस्त, 2015
अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, सन् 1997) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, ऐसे चिन्हित यानों, अधिकतम तीन यानों की सीमा तक, जिनमें से दो यान चालक सहित पॉच यात्री क्षमता एवं एक यान चालक सहित बारह यात्री क्षमता का होगा, जो हेरिटेज होटल के स्वामित्व में हों और हेरिटेज होटल में रूकने वाले देशी/विदेशी पर्यटकों को निकटस्थ बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से वहन हेतु एवं उनके स्थानीय परिभ्रमण के लिये अनन्य रूप से उपयोग में लाये जा रहें हों, को मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 के अधीन पॉच वर्षों के लिये कर के भुगतान से पूर्ण रूप से छूट प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

कुमार अरविन्द सिंह देव
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-9/945(1)/तीस-4-2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को दिनांक 11 अगस्त, 2015 के असाधारण गजट के परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करवानें तथा प्रकाशित अधिसूचना की 500 प्रतियॉ परिवहन अनुभाग-4, कक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(संतोष कुमार रावत)
अनु सचिव।

संख्या-9/945(2)/तीस-4-2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- महानिदेशक, पर्यटन उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त्)।
5- समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
6- विधायी अनुभाग-1
7- सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1-संसद मार्ग, नई दिल्ली।
8- अध्यक्ष, स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संतोष कुमार रावत)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।